वैकल्पिक देखरेख पर एक श्रृंखला

किशोरावस्था के पश्चात्वर्ती देखरेख

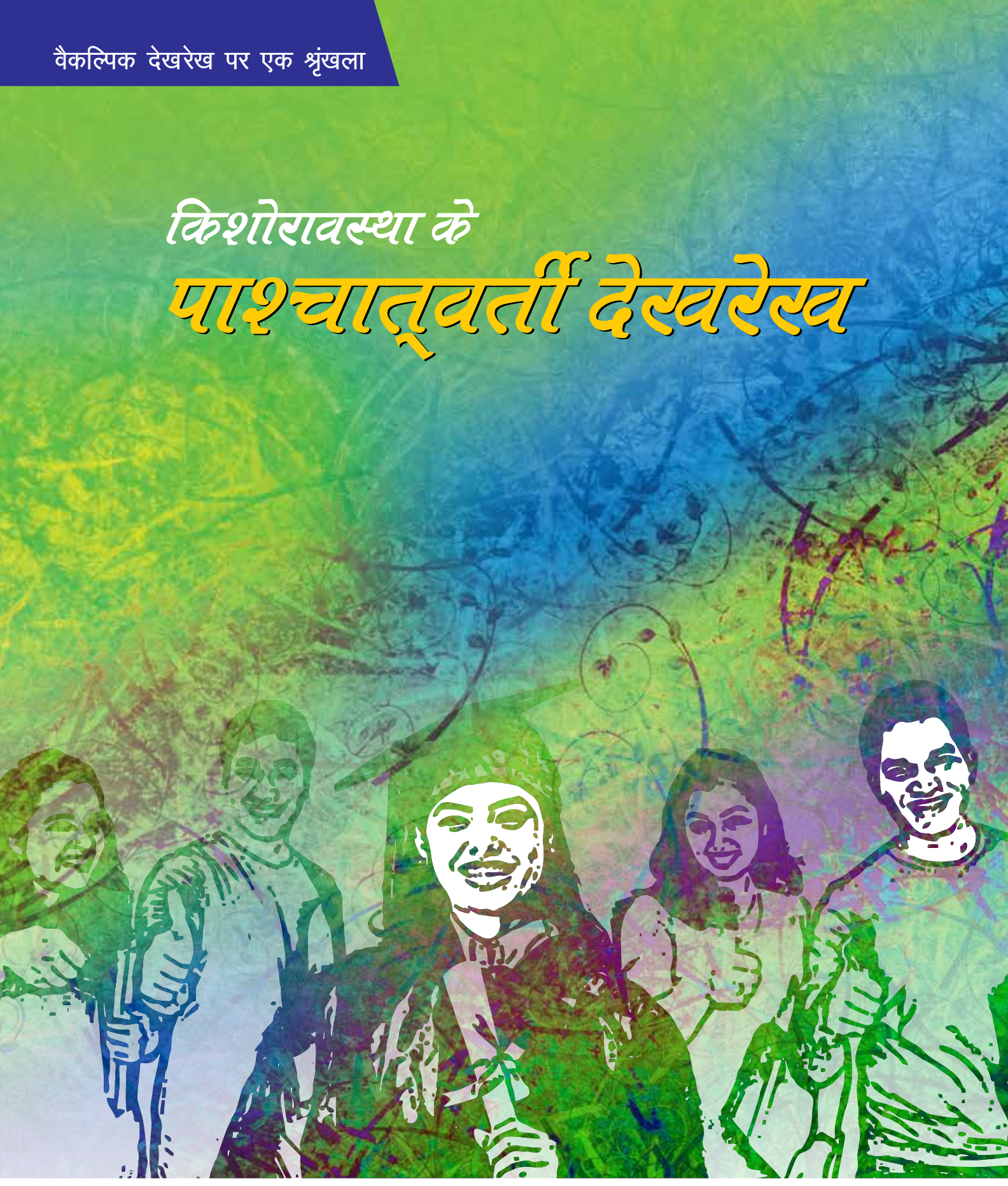

UDAYAN care

unicef
unite for children

प्रकाशन का वर्षः फरवरी 2017
कॉपीराइटः उदयन केयर
इस पुस्तिका के किसी भी भाग को उचित स्वीकृति के साथ स्वतंत्र रूप से पुनः प्रकाशित किया जा सकता है।

उदयन केयर
16/97–ए, विक्रम विहार, लाजपत नगर–4,
नई दिल्ली–110024
फोनः +91-11-46548105/06
ई–मेलः advocacy@udayancare.org
वेबसाइटः www.udayancare.org

वैकल्पिक देखरेख पर एक श्रृंखला

किशोरावस्था के
पाश्चात्वर्ती देखरेख

UDAYAN care

unicef
unite for children

विषय सूची

प्रस्तावना v

आदिवर्णिक और संक्षिप्त शब्द vi

1- e|y lkp 01

2- dkuuh vkSj uhfr lEcU/kh çi= 02

3- oSdfYid dkuuh vkSj ;kSu tukxr fof/k;ksa ij ,d J`[kyk 03

4- Hkkjr esa ik'pkRorhZ n`[kjs[k dk mnkgj.k 06

5- dqN pquas gq, ns'kksa esa ik'pkRorhZ n`[kjs[k dk mnkgj.k 09

संन्दर्भ सूची 12

प्रस्तावना

2015 बच्चों के अधिकारों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण वर्ष था जब किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनिम, 2015 अधिनियमित हुआ। विश्व में भी यह वह वर्ष था जब संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने संधारणीय लक्ष्यों की प्राप्ति (एसडीजी) को अपना उद्देष्य बनाया ताकि विश्व में गरीबी का अंत हो और सभी को समृद्धि प्राप्त हो। इस विकास के साथ 2015 के बाद भारत में बच्चों की सुरक्षा को एक मजबूत अधिकार–आधारित हैसियत प्राप्त हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में उदयन केयर इस बात के प्रति सजग है की बच्चों कि सम्पूर्ण सुरक्षा को लिया जाये तो घर से बाहर रह रहे बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। वे बच्चे जिनको सुरक्षा की जरुरत है उनकी संख्या दिन–ओ–दिन बढ़ती रहती है और भारत में दत्तकग्रहण की परंपरा अभी भी बहुत कम है। अनुमान है कि 2020 तक यह संख्या 24 मिलियन हो जाएगी। इस प्रकार, भारत के सामने बहुत बड़ा कार्य है– इन बच्चों को सुरक्षा देने का और उन्हें वह सारे अवसर उपलब्ध कराने का ताकि वह अपनी पूरी काबलियत हासिल कर पाएं। एक तगड़ी वैकल्पिक देखरेख की प्रणाली की आवश्यकता है जो इन बच्चों को सुरक्षा दे और उन्हें समाज में दोबारा समन्वित करे और हम सब इसके लिए जवाबदेह होने चाहियें।

वैकल्पिक देखरेख की प्रणाली को तगड़ा बनाने के लिए कानूनों और प्रावधानों के बारे में जानकारी रखना जरूरी है, लेकिन, कई बार हम देखते हैं कि इन कानूनों और प्रावधानों के बारे में उन लोगों को पता नहीं होता जो इस क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं और इससे 'बच्चों के अधिकारों' की बात गौण बनकर रह जाती है। वैकल्पिक देखरेख भारत में अभी भी नया विषय है। यह देखते हुए उदयन केयर को लगा की इसके बारे में जानकारी, शिक्षा और संचार की सामग्री होना जरूरी है। यह प्रकाशन जिसका नाम है, ^odfYid n[kj[k* ij ,d J[kyk] जिसमें चार हस्त–पुस्तिकाएं हैं यानि, ^cky n[kj[k lLFkkuksa e n[kHkky d ekud*] ^ikyu&ik"k.k n[kj[k] ^nÙkdxg.k* और ^fd'kksjkoLFkk d ik'pkrorh n[kj[k*] इस दिशा में एक प्रयास है। यह हस्त–पुस्तिकाएं भारत में सबसे नवीनतम कानूनी और नीति के ढांचे को आवरण करती हैं और इनमें बातों को सरल तरीके से समझाया गया है ताकि सभी सम्बंधित व्यक्ति उनका सन्दर्भ ले सकें।

इन हस्त–पुस्तिकाओं में कोई मुश्किल कानूनी बातें नहीं हैं। इनका उद्देष्य है कि इस क्षेत्र में काम कर रहे लोग इन चारों क्षेत्रों का 'दायरा' और उनके 'मुख्य तथ्य' समझ सकें। सभी पुस्तिकाओं को एक ही तरह से प्रस्तुत किया गया है, पहले मूल सोच पर प्रकाश डाला गया है, फिर कानूनी और नीति के प्रपत्रों के बारे में बात की गयी है उसके बाद भारत और कुछ अन्य देशों में अभ्यासों पर एक अध्याय है। प्रत्येक पुस्तिका में उन लोगों के लिए संदर्भ की सूची भी हैं जो इस मुद्दे पर और जानकारी लेना चाहते हों।

इन पुस्तिकाओं को देखरेख के अभ्यासकों, सरकारी कार्यालयों में काम कर रहे लोगों, बच्चों की जिला बाल सुंरक्षण इकाइयों, बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड, सामाजिक कार्यकर्ता, देखरेख करने वाले, कर्मचारीगण और संस्थाओं की प्रबंधन समितियों और साथ ही इस क्षेत्र में नए लोगों और स्वेछा से कार्य करने वालों के लिए लिखा गया है। लेकिन यह बात नोट करने लायक है कि यह पुस्तिकाएं कानून से ऊपर नहीं हैं और उसका स्थान नहीं ले सकतीं, कानून को आगे समझने की लिए, हमारा परामर्श है कि आप सम्बंधित नियम और कानून पढ़ें।

वैकल्पिक देखरेख पर यह प्रकाशन संभव नहीं हो पाता यदि यूनीसेफ का समर्थन नहीं मिला होता। उदयन केयर इस समर्थन की लिए उनका बहुत आभारी है।

हम विभिन्न विशेषज्ञों के निवेश के लिए अत्यंत आभारी हैं, जैसे, यूनीसेफ की तनिष्ठा दत्ता, स्वागत रहा जो सेंटर फॉर चाइल्ड एंड लॉ, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, बेंगलुरु से हैं, प्रमोदाय शाखा जो सहायक–निर्देश हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, दिल्ली सरकार से और इयान आनंद फोर्बेर प्रतत जो नेशनल प्रोग्राम डायरेक्टर हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अल्टरनेटिव केयर ऑफ चिल्ड्रन, इंडिया।

कहने की जरुरत नहीं है कि उदयन केयर की सम्पूर्ण टीम की कड़ी मेहनत ने यह सुनिष्चित किया कि यह उद्योग पूर्ण रूप से सफल हुआ।

mn;u d;j

आदिवर्णिक और संक्षिप्त शब्द

जेजे एक्ट 2015	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015
जेजे रूल्स 2016	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016
आईसीपीएस	समेकित बाल संरक्षण योजना
यूएनजीएसीसी	बच्चों की देखरेख के लिए संयुक्त राष्ट्र का वैकल्पिक दिशानिर्देश
सीसीआई	बाल देखरेख संस्थाओं
डीसीपीयू	जिला बाल संरक्षण इकाई
जेजेबी	किशोर न्याय बोर्ड
सीडब्ल्यूसी	बाल कल्याण समिति
एससीपीसी	राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी
सीडब्ल्यूसी	बाल कल्याण समिति
एनजीओएस	गैरसरकारी संगठनों
टीला	स्वतंत्र जीवन स्थानांतरण भत्ता

मूल सोच

पाश्चात्वर्ती देखरेख या जिसे हम किशोरावस्था के बाद की देखरेख कह सकते हैं, उन युवाओं के लिए एक उपाय है जो, कानून के अनुसार एक आयु के होने के बाद संस्थागत देखरेख की प्रणाली से बाहर आते हैं। यह भारत में बच्चों और युवाओं की देखरेख का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अभी भी नयी चीजें जुड़ रही हैं। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे एक्ट, 2015), भारत में किशोरावस्था के बाद की देखरेख का अर्थ है ''उन व्यक्तियों के लिए वित्तीय या अन्य समर्थन का प्रावधान जो 13 वर्ष के हो चुके हैं लेकिन 21 वर्ष से कम के हैं, और जिन्होंने संस्थागत प्रणाली छोड़ दी है ताकि वह समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। {धारा 2(5)}। यह प्रणाली इस सिद्धांत पर आधारित है कि जो बच्चे संस्थागत देखरेख से बाहर निकलते हैं वह बेरोजगारी, मानसिक तनाव, शारीरिक और मानसिक बिमारियों, बेघर और बेसहारा होने जैसी स्तिथियों के शिकार होते हैं। परिवार या ऐसे भरोसेमंद बड़े लोग होते हैं उनके जीवन में जो उनका सहारा बन सकते हैं। जब तक कि उन्हें मूलभूत जरूरतों पर सहायता नहीं दी जाये, जैसे, वित्त, रोजगार, रहने का स्थान, आदि, उन्हें संस्थागत देखरेख के बाद से स्वतन्त्र रूप से रहने में बहुत कठिनाई होगी।

यदि इस दृष्टि से देखा जाये तो, पाश्चात्वर्ती देखरेख को हम युवाओं के लिए एक तैयारी का मंच कह सकते हैं जिसके दौरान उन्हें वित्तीय समर्थन, हुनर में प्रशिक्षण, व्यवसाय चुनने में सहायता, अपने जज़्बातों को संभालना, आदि बातें समझाई जाती हैं जिनके सहारे वह समाज की मुख्य धारा में आ सकते हैं। यह बच्चों की संस्थागत निरंतर देखभाल का अंतिम चरण है। संस्था में रहने के बाद उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाता, बल्कि कुछ समय के लिए उनकी सहायता की जाती है ताकि वह समाज के साथ दोबारा एकीकृत हो सकें।

मुख्य बातः पाश्चात्वर्ती देखरेख बच्चों की निरंतर संस्थागत देखरेख का अंतिम चरण है, संस्था में रहने की उम्र के बाद जो उनके पुनर्स्थापन को आसान बनता है।

कानूनी और नीति सम्बन्धी प्रपत्र

पाश्चात्वर्ती देखरेख भारत के कानूनी और नीति ढांचे में हाल में जुड़ा है। सबसे पहले इसकी बात किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 में, एक वैकल्पिक उपाय के रूप में की गयी थी–उन बच्चों के सामाजिक एकीकरण के लिए जो संस्था छोड़ रहे होते हैं। वर्तमान में, पाश्चात्वर्ती देखरेख की सेवाएं नीचे दिए गए कानूनी और नीति के प्रपत्रों में निर्धारित की गयी हैं। इसके आलावा एक अंतराष्ट्रीय कानूनी प्रपत्र है जो पाश्चात्वर्ती देखरेख की प्रणाली के लिए दिशा–निर्देशक का काम करता है।

भारतीय कानूनी और नीति प्रपत्र

- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015
- समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) 2014
- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 (जेजे रूल्स 2016)

अंतराष्ट्रीय प्रपत्र

- बच्चों की देखरेख के लिए संयुक्त राष्ट्र का वैकल्पिक दिशानिर्देश (यूएनजीएसीसी) 2009

मुख्य बातः भारत में किशोरावस्था के पाश्चात्वर्ती देखरेख को कानूनी और योजनागत समर्थन प्राप्त है।

वैकल्पिक कानूनी और योजनागत विधियों पर एक श्रृंखला

नीचे दिए गए भाग में भारत में किशोरावस्था के पाश्चात्वर्ती देखरेख प्रदान करने के लिए कानूनी और योजनागत विधियां दी गयी हैं। राष्ट्रीय प्रपत्रों के आलावा, अंत में बच्चों की देखरेख के लिए संयुक्त राष्ट्र का वैकल्पिक दिशनिर्देश (यूएनजीएसीसी) की विधियां भी प्रस्तुत की गयी हैं।

किशोर न्याय अधिनियम

पाश्चात्वर्ती देखरेख के बारे में जेजे एक्ट, 2015 की धारा 46 में दिया गया है। इस धारा के अनुसार, कोई भी बच्चा जो 18 वर्ष का होने के बाद संस्था को छोड़ता है, उसे ऐसे निर्धारित तरीके से वित्तीय समर्थन दिया जा सकता है ताकि वह समाज की मुख्य धारा में पुनःस्थापित हो सके।

जेजे एक्ट, 2015 की धारा 2(5) और ऊपर दी गयी धारा जो पाश्चात्वर्ती देखरेख की परिभाषा देती हैं, उनका मुख्य ध्यान नीचे दी गयी बातों पर केंद्रित है:

- पाश्चात्वर्ती देखरेख की सेवाएं उन व्यक्तियों के लिए हैं जो 18 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन 21 वर्ष से कम हैं।
- यह सेवाएं वित्तीय और गैर–वित्तीय प्रवृत्ति की हैं।
- पाश्चात्वर्ती देखरेख की सेवाएं उन व्यक्तियों के लिए हैं जिन्होंने बाल देखरेख संस्थान (सीसीआई) में रहते हुए 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।
- पाश्चात्वर्ती देखरेख का मुख्य उद्देश्य है युवाओं को सफलतापूर्वक समाज की मुख्य धारा में लाना।

समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस)

आईसीपीएस की विधियों के अनुसार पाश्चात्वर्ती देखरेख के कार्यक्रम के लिए स्वैछिक संस्थाओं को ढूढ़ने का काम जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) द्वारा किया जाता है। लेकिन युवाओं को पाश्चात्वर्ती देखरेख के कार्यक्रम में डालने का आदेश किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी)/बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) द्वारा दिया जाता है। इस आदेश को फिर डीसीपीयू के पास भेजा जाता है, जो यह सुनिष्चित करता है कि युवा के लिए पाश्चात्वर्ती देखरेख उपलब्ध है। जो स्वैछिक संस्था पाश्चात्वर्ती देखरेख का प्रबंध कर रही है वह प्रति माह राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी (एससीपीसी) से प्रति व्यक्ति अधिकतम 2000 रुपये प्राप्त कर सकती है। इस मासिक अनुदान को युवाओं की जरूरतों पर खर्च किया जा सकता है, जैसे, स्वास्थ्य और सर छुपाने की जगह, उनकी आयु अनुसार शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और मासिक भत्ता।

आईसीपीएस में दिये गये कुछ और बिंन्दु

जो स्वैछिक संस्थाएं पाश्चात्वर्ती देखरेख करती हैं वे प्रत्येक युवा के लिए तीन वर्ष तक की योजना बना सकती हैं। आईसीपीएस कुछ मुख्य सेवाओं और गतिविधियों की चिन्हित करती है जो प्रत्येक पाश्चात्वर्ती देखरेख योजना में होनी चाहिएं जैसे–

- 6–8 युवाओं के लिए अस्थायी आधार पर सामुदायिक आवास।
- कोई व्यवसाय सीखने का प्रोत्साहन जिससे आवास का किराया निकल आये और उसे चलाने में भी मदत मिल सके।
- उन्हें प्रोत्साहन देना कि वह धीरे–धीरे अपनेआप को राज्य के समर्थन के बिना संभाल पाएं और सामुदायिक निवास से निकलकर अपने खुद के स्थान पर रहें–अपनी कमाई में से बचत करके।
- इन समूहों को एक हम–उम्र सलाहकार प्रदान करना जिसके साथ इनके पुनर्स्थापन की योजना की चर्चा हो सके। इन्हें इनकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के लिए सृजनात्मक तरीके मिल सकें और इनकी जिन्दगी की कठिन परिस्थिति बदल जाये।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान इन्हें मासिक भत्ता प्रदान करना जब तक कि इन्हें स्थाई रोजगार नहीं मिल जाता।
- उन युवाओं के लिए ऋण का प्रबंध करना जो उद्यम सम्बन्धी कार्य करना चाहते हैं।

संक्षिप्त में ऊपर दी गयी विधियां मुख्य रूप से इन बातों पर केंद्रित हैं:

- स्वतंत्र रूप से अपनी जिन्दगी जीना।
- युवाओं को हौसला देना की वह जिन्दगी की कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकें।
- उन्हें हुनर प्रदान करना और रोजगार–लायक बनाना।
- उनके सफल एकीकरण और पुनर्स्थापन में दिशा–निर्देश देना।

आईसीपीएस के अंतर्गत पाश्चात्वर्ती देखरेख कार्यक्रमों के लिए राज्यों को नीचे दी गई दर के अनुसार कोष प्रदान किया गया है:

i) राज्य जिनमें 15 से कम जिले हैं: 15 लाख रुपये।

ii) राज्य जिनमें 15 से अधिक जिले हैं: 30 लाख रुपये।

iii) राज्य जिनमें 30 से अधिक जिले हैं: 45 लाख रुपये।

जेजे नियम, 2016

जेजे नियम, 2016 जिन्हें जेजे अधिनियम, 2015 के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए बनाया गया है, आईसीपीएस के प्रावधानों से सुसंगत हैं, पाश्चात्वर्ती देखरेख के कार्यान्वयन और प्रबंधन पर ये नियम और स्पष्टता देते हैं। नियम 25 के मुख्य बिंन्दु नीचे दिये गये हैं जो पाश्चात्वर्ती देखरेख कार्यक्रमों से सम्बंधित है:

- राज्य सरकार युवाओं की शिक्षा के लिए कार्यक्रम बनाएगी– और उन्हें रोजगार योग्य हुनर देगी। उन्हें रहने का स्थान भी दिया जायेगा ताकि समाज में उनका पुनः स्थापना और एकीकरण हो सके।
- युवाओं को पाश्चात्वर्ती देखरेख योजनाओं में रखने का आदेश बाल कल्याण समिति (बाल कल्याण समिति) या किशोर न्याय बोर्ड या बाल न्यायालय द्वारा दिया जायेगा–प्ररूप 37 के अनुसार। पाश्चात्वर्ती देखरेख की सेवाएं 21 वर्ष की उम्र तक दी जाती हैं, और विशेष परिस्थितियों में इस सीमा को दो वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है।
- डीसीपीयू उन संस्थाओं और व्यक्तियों की सूची तैयार करके जो पाश्चात्वर्ती देखरेख की सेवाएं दे सकती हैं, उनके रूचि के अनुसार, जैसे, शिक्षा, चिकित्सा, पोषण, व्यावसयिक प्रशिक्षण, आदि, और इस सूची को सीडब्ल्यूसी या जेजेबी और सभी सीसीआई को प्रत्येक जिले में उसकी जानकारी के लिए भेजा जायेगा।

- बच्चे को सीसीआई से छुट्टी मिलने के 2 महीने पहले पर्यवेक्षक अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी, या मामला कार्यकर्ता या सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा बच्चे की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनकी छुट्टी के बाद की योजना बनायेगा।
- रिहाई के बाद के कार्यक्रम की देख–रेख का अधिकार और पाश्चात्वर्ती देखरेख कार्यक्रमों की प्रभाविकता जांचने की शक्ति जेजेबी या सीडब्ल्यूसी या बाल न्यायालय के पास रहती है। कार्यक्रम की प्रभाविकता इससे जाँची जाती है कि वह अपने उद्देश्य में कितना सफल रहा और बच्चे को कितना लाभ मिला।
- पाश्चात्वर्ती देखरेख कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाएं इस प्रकार है:
  - राज्य सरकार द्वारा कोश, जिन्हे सीधा लाभार्थियों के बैंक खतों में हस्तांतरित किया जाता है जिससे उनके जरूरी खर्चे पूरे होते हैं।
  - 6–8 व्यक्तियों के लिए अस्थायी सामुदायिक आवास।
  - व्यावसयिक प्रशिक्षण के दौरान रोजगार भत्ता, उच्च शिक्षा के लिए वजीफा और रोजगार मिलने तक समर्थन।
  - हुनर प्रशिक्षण और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रोजगार –राष्ट्रीय हुनर विकास कार्यक्रम के साथ, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ स्किल ट्रेनिंग और केंद्र और राज्य सरकारों और संयुक्त क्षेत्रों के अन्य कार्यक्रमों से समन्वय।
  - एक सलाहकार प्रदान करना जो लाभार्थियों से निरंतर संपर्क बनाकर रखे और उनके पुनर्वास के कार्यक्रमों की चर्चा करे।
  - उनकी ऊर्जा को सही और सकारात्मक दिशा देना ताकि वह जीवन के कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकें।
  - उद्यमी गतिविधियों के लिए ऋण और अनुदान प्रदान करना।
  - उन्हें प्रोत्साहन देना कि वह राज्य की या बाहरी या अन्य सहायता के बन्द हो जानें के बाद भी अपना निर्वाह कर सकें।

बच्चों की देखरेख के लिए संयुक्त राष्ट्र का वैकल्पिक दिशानिर्देश (यूएनजीएसीसी)

पाश्चात्वर्ती देखरेख कार्यक्रम को मजबूत बनाने और बच्चों को वैकल्पिक देखरेख प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशानिर्देश कुछ इस प्रकार हैं:

- बच्चों की देखभाल की एजेंसियां और सुविधाओं को प्रणालीगत तरीके से बच्चों को आत्म–निर्भर बनाने के लिए और उन्हें समुदाय में पूर्ण रूप से एकीकृत करने की ओर काम करना चाहिए। उनके कार्यों का मुख्य ध्यान सामाजिक और जीवन कौशल के हुनर प्राप्त करना होना चाहिए– स्थानीय समुदाय का एक हिस्सा बनकर।
- देखरेख से पाश्चात्वर्ती देखरेख के बदलाव की प्रक्रिया को बच्चे की उम्र, उसकी परिपक्वत्ता और उसकी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर करना चाहिए।
- जो बच्चे देखभाल से अलग हो रहे हैं उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वह पाश्चात्वर्ती देखरेख के बारे में सोचें और अपनी खुद की योजना भी बनायें। जिन बच्चो की विशेष जरूरतें होती हैं जैसे विकलांगता का शिकार बच्चे उनके उचित प्रणाली से सहयोग। निजी और सार्वजानिक क्षेत्रों–दोनों–को प्रोत्साहन देना चाहिए कि वह अलग अलग देखभाल की संस्थाओं से बच्चों को काम दें–विशेष रूप से उन्हें जिनकी विशेष जरूरतें हैं।
- विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे को जहाँ तक हो सके एक विशेष व्यक्ति के पर्यवेक्षण में रखा जाये जो यह देख सके कि संस्था छोड़ने पर बच्चा स्वतंत्र रूप से कैसे जिन्दगी जी सकेगा।
- पाश्चात्वर्ती देखरेख को जब बच्चा देखरेख की संस्था छोड़ता है उससे कहीं पहले जल्दी से जल्दी बनाना चाहिए।
- युवाओं को वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए उन्हें शैक्षिक और वयवसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसे उनके जीवन कौशल का भाग माना जाना चाहिए।
- युवाओं को सामाजिक, अर्थिक, न्यायिक और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच मिलनी चाहिए।

मुख्य बात: पाश्चात्वर्ती देखरेख के बारे में कानूनी और योजनागत विधियां युवाओं को पूर्ण रूप से समर्थन देने पर जोर देती हैं जिनमें शामिल है आवास, शिक्षा, कानूनी सहायता, स्वास्थ्य, कौशल प्राप्ति, वित्त और विवाह।

भारत में पाश्चात्वर्ती देखरेख के उदाहरण

जैसा पहले भी उल्लेख किया गया है, भारत में यह प्रणाली अभी नयी है। सीसीआई जो बच्चों की पाश्चात्वर्ती देखरेख का ध्यान रखती है, वो भी केवल 18 की उमर तक ही अपनी सेवायें प्रदान करती है न कि 21 तक और एक नयी प्रणाली होने की वजह से अभी ऐसी ज्यादा संस्थाएं नहीं हैं। नीचे दिए गए भागों में पाश्चात्वर्ती देखरेख कार्यक्रम के उदाहरण दिए गए हैं, जैसा इन्हें सरकारी और गैर–सरकारी उपक्रमों के तहत लागू किया गया है। ये उदाहरण इस प्रणाली के गतिशील पहलुओं को उजागर करते हैं।

एसओएस चिल्ड्रेन्स विलेजस ऑफ इंडिया

1964 में पहले एसओएस चिल्ड्रेन्स विलेज की स्थापना के बाद, एसओएस चिल्ड्रेन्स विलेजस ऑफ इंडिया देश के विभिन्न भागों में स्थित अपने विलेजस में हजारों अनाथ और त्यागे हुए बच्चों की पारिवारिक परिवेश में देखभाल कर रहा है और उन्हें समर्थन दे रहा है। इतने सालों से वजूद में होने के कारण, उसके अनेक बच्चे अब अपना सफल और स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। संस्था का 'युवा' कार्यक्रम जो उसके मुख्य कार्यक्रम का भाग है उसे परिवार–आधारित देखरेख कहते हैं, यह कार्यक्रम युवाओं के लिए अनेक गतिविधियां करवाता है, जो एक उम्र के बाद एसओएस छोड़ देते हैं। इस 'युवा' कार्यक्रम की मुख्य बातें नीचे दी गयी हैं:

- एक एसओएस चिल्ड्रेन्स विलेज की युवा विंग के मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं, अरुणोदय, सोपान और घरोंदा, जैसा नीचे समझाया गया है:
  - **अरुणोदय चरण:** अरुणोदय से अर्थ है देखरेख, यह 14–18 वर्ष के लड़कों के लिए है।
  - **सोपान चरण:** सोपान अनाश्रयता के लिए है, यह कॉलेज जाते युवाओं या व्यावसायिक शिक्षा या उच्च शिक्षा के लड़कों के लिए है।
  - **घरोंदा चरण:** घरोंदा से अर्थ है एकीकरण, यह कामकाजी व्यवसायिकों के लिए है।
- युवा कार्यक्रम के अंतर्गत समर्थन देने की सीमा 25 वर्ष तक की है।
- तीनों चरणों के अंतर्गत, बच्चों/युवाओं को सलाह दी जाती है और कुशल मार्गदर्शन दिया जाता है ताकि वह नए पारिवारिक माहौल में अपनेआप को ढाल सकें। **अरुणोदय** के दौरान सलाह मुख्य रूप से शिक्षा के स्तर और व्यवसाय की योजना पर केंद्रित होती है। **सोपान के चरण** में युवा को विभिन्न व्यवसायों के बारे में सलाह दी जाती है। उन्हें व्यवसायिक प्रशिक्षण और स्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाता है और उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाता है। **घरोंदा** के चरण में युवाओं को सीखने और बढ़ने के मौके दिए जाते हैं। इस चरण में युवाओं का व्यक्तित्व बनता है, उनमें आत्म–विश्वास आता है और वह हुनर सीखते हैं जिसके विश्वास पर वह अपना भविष्य बना सकें।
- उन लड़कों से कुछ अलग, जिन्हें युवा घरों से हटा दिया जाता है और ऊपर दिए गए तीन चरणों में समर्थन दिया जाता है, लड़कियां अपनी एसओएस माँओं के साथ रहती हैं जब तक वह उच्च शिक्षा या शादी या रोजगार मिलने के कारण वहाँ से न जाएँ। लेकिन लड़कों के जैसे उन्हें भी हर प्रकार की सहायता दी जाती है जिससे उनका जीवन अच्छा रूप ले सके।
- युवा कार्यक्रम के अंतर्गत एसओएस चिल्ड्रेन्स विलेजस ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो समर्थन दिया जाता है उसमें शामिल है रोजगार, चिकित्सा भत्ता, विवाह और शिक्षा चालू रखने के लिए समर्थन।

- एक प्रावधान है जिसका नाम है मनी गिफ्ट बैलेंस जिसके अंतर्गत जो पैसे बच्चे के नाम से जमा कराये जाते हैं वह उसे तब वितरित किये जाते हैं जब वह 25 वर्ष का हो जाता है या जाने के नोटिस के 5 वर्षों के अंदर, जो भी पहले हो इस पैसे को अक्सर उस शुरुआती पूँजी के जैसे प्रयोग किया जाता है जिससे परिसंपत्तियां अर्जित की जा सके या अपना उद्यम शुरू किया जा सके।
- स्थापित होने की प्रक्रिया के दौरान लड़के और लड़कियों को प्रति महीने 2000 रुपये दिए जाते हैं ताकि वह अपनी आय का समर्थन कर सकें क्यूंकि इस अवस्था में पैसों की बहुत जरुरत पड़ती है।

उदयन केयर

उदयन केयर विपत्ति का शिकार बच्चों, महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए 1996 से काम कर रहा है जब अनाथ और त्यागे हुए बच्चों के लिए उनका पहला उदयन घर दिल्ली में शुरू हुआ था। तब से इस संस्था ने अपनी गतिविधियां नौ भारतीय राज्यों में 14 शहरों में पहुचा ली हैं। संस्था के पास उन बच्चों के लिए एक बहुत विस्तृत पाश्चात्वर्ती देखरेख कार्यक्रम है जो 18 वर्ष के होने पर उदयन घर छोड़ रहे होते हैं। संस्था की पाश्चात्वर्ती देखरेख प्रणाली के मुख्य बिन्दुः

- युवाओं को अपने प्रतिपालक माता–पिता के दिशा–निर्देशों के अंतर्गत पूर्ण समर्थन दिया जाता है और उदयन केयर का संस्थागत समर्थन भी प्राप्त होता है। लड़कियो का पाश्चात्वर्ती देखरेख घर ग्रेटर नोएडा में है जबकि लड़को का घर गुड़गॉव में। कुछ लड़के और लड़कियॉ अपने शिक्षा क्रेन्द्र के छात्रावास मे भी रहते हैं।
- जबकि बड़ी लड़कियों के लिए एक निवासी पाश्चात्वर्ती देखरेख सुविधा है जिसका नाम है जगशांति उदयन घर, लड़के अपनी शैक्षिक संस्थाओं के फ्लैट या हॉस्टल में रहते हैं।
- इन युवाओं को उच्च शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और व्यवसाय के विकास के लिए समर्थन दिया जाता है। उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है कि वह पूरे समय का काम पकड़ें और स्वतंत्र रूप से अपने रहन सहन की देखरेख करें ताकि भविष्य में वह इसका लाभ उठा सकें।
- उदयन केयर की पाश्चात्वर्ती देखरेख 3 सालों तक सीमित नहीं है जैसा जेजे अधिनियम में निर्धारित है, बल्कि वह तब तक चलती है जब तक युवा जीवन में स्थापित नहीं हो जाता। संस्था प्रतिपालक माता–पिता के साथ पूरे प्रयत्न करती है ताकि युवाओं का सफलतापूर्वक समाज में एकीकरण हो सके।

प्रयास जुवेनाइल ऐड सेन्टर सोसाइटी

प्रयास जुवेनाइल ऐड सेन्टर सोसाइटी 1988 से नौ भारतीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में विपत्ति का शिकार और जरूरतमंद बच्चों की देखरेख, सुरक्षा और विकास के लिए काम कर रही है। अन्य बातों के आलावा, इसकी गतिविधियों में शामिल है महिला और युवा सशक्तिकरण, महिलाओं और बच्चों का दोहन, आय उत्पन्न करना और सूक्षम–क्रेडिट।

संस्था का पाश्चात्वर्ती देखरेख कार्यक्रम जिसका नाम है ''युवा कनेक्ट'' दिल्ली में मई 2011 में शुरू किया गया था और इसका पूरा ध्यान किशोरों पर था। इस पहल के अंतर्गत बच्चों को शिक्षा और व्यसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे उन्हें रोजगार मिलता है और वह समाज की मुख्य धारा में जुड़ते है।

ऐज अवर ओन

ऐज अवर ओन एक अमेरिकी आधारित परोपकारी संस्था है जो भारत में केवल लड़कियो की देखरेख का काम कर रही है। यह संस्था लड़कियों को अत्यधिक गरीबी, बेहाली और दोहन से बचती है और स्थाई रूप से एक पारिवारिक परिवेश में उनकी देखरेख करती है। लड़कियों को गोद नहीं लिया जा सकता क्यूंकि उन्हें अपने परिवार का हिस्सा माना जाता है। (ऐज अवर ओन परिवार)

इनकी 8 चरणों में देखभाल दी जाती है, जबकि पहले 6 चरणों में बचपन कवर किया जाता है, आखरी के दो चरणों में लड़कियों को व्यवसाय और पारिवारिक जिन्दगी की दृष्टि से तैयार किया जाता है। जैसे–जैसे वह उच्च शिक्षा की ओर जाती हैं और अपने पैसे खुद कमाती हैं, संस्था उन्हें शिक्षा, रोजगार, विवाह आदि के लिए पूर्ण समर्थन देती है और उनके पुनर्वास में सहायता करती है। देखरेख क्यूंकि स्थाई होती है, लड़कियां जीवन में बस जाने के बाद भी संस्था के संपर्क में रहती हैं इसलिए, संस्था के लिए माता–पिता का किरदार कभी समाप्त नहीं होता और प्रत्येक लड़की को अपने पूरे जीवन समर्थन मिलता रहता है।

डॉन बोस्को स्नेहालय

डॉन बोस्को स्नेहालय गुजरात में 18 से 21 वर्ष के युवाओं के लिए एक पाश्चात्वर्ती देखरेख घर संचालित करता है। वह उन्हें खाने, कपड़े, रहने, व्यावसायिक शिक्षा आदि और रोजगार जैसे कार्यों में सहायता करता है। इन गतिविधियों का उद्देश्य है कि युवा एक स्वतंत्र जीवन जी सकें।

सरकारी पहल

न्यायिक और प्रणालीगत विधियों का पालन करते हुए, राज्य सरकारें भी उन बच्चों के लिए पाश्चात्वर्ती देखरेख कार्यक्रम लागू करते आ रही है जो 18 वर्ष के हो जाते हैं। भारतीय राज्यों के पाश्चात्वर्ती देखरेख कार्यक्रमों की कुछ मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

- तकनीकी और गैर तकनीकी कोर्स पर काम–आधारित प्रशिक्षण।
- रोजगार दिलाने में मदद।
- अलग अलग पाश्चात्वर्ती देखरेख सेवाओं के लिए बाहरी एजेंसियों के साथ मेल–जोल।
- पाश्चात्वर्ती देखरेख घर।
- युवाओं को सलाह देना।
- पाश्चात्वर्ती देखरेख प्रणाली के बारे में सीडब्ल्यूसी के सदस्यों और अन्य अंश–धारकों को इसके बारे में संवेदनशील बनाना।

हालाँकि राज्य सरकारें और गैर सरकारी संस्थाऐं दोनो पाश्चात्वर्ती देखरेख के बारे में काम कर रही हैं, कार्यक्रम को अभी भी वह गाति प्राप्त नहीं हुआ है जो उसे मिलना चाहिए। उदाहरण के लिए, ओड़िशा में एक पाश्चात्वर्ती देखरेख शुरू किया गया था 2014 में– उत्कल बालश्रम जहॉ से 6 लड़कियों को सेवाओं के लिए चुना गया। राज्य में अभी भी कोई पाश्चात्वर्ती देखरेख पुनर्वास नहीं है और न ऐसी प्रणाली जो उन बच्चों का पता लगा सके जो 18 वर्ष का होने के बाद संस्था छोड़ देते हैं। दूसरी समस्या है की भारतीय राज्यों में पर्याप्त अवसंरचना और सुविधाएँ नहीं हैं। उदाहरण के लिए कर्नाटक में मानसिक रूप से कमजोर पुरूषों के लिए केवल 5 पाश्चात्वर्ती देखरेख घर हैं और मानसिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए 2। तमिलनाडु में केवल 3 पाश्चात्वर्ती देखरेख संस्थाएं हैं 2 पुरुषों के लिए और 1 महिलाओं के लिए जिन्हे राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है।

मुख्य बातः गैरसरकारी संगठनों (एनजीओएस) द्वारा जो मध्यस्थता की जाती है वह ध्यान केंद्रित, जरुरत के आधार पर और लक्ष्य–आधारित होती है, लेकिन सरकारी पहलों को गति चाहिए होता है और उन्हें ऐसी बातों पर भी ध्यान देना होता है जैसे देखरेख करने वालों का छोड़कर जाना, पाश्चात्वर्ती देखरेख अवसंरचना को मजबूत बनाना और एनजीओ और समाज के अंशधारकों के साथ सहक्रियता स्थापित करना।

कुछ चुने हुए देशों में पाश्चात्वर्ती देखरेख के उदाहरण

कुछ चुने हुए देशों में पाश्चात्वर्ती देखरेख के उदाहरणों से अलग–अलग प्रणालियों की प्रवृत्ति और उनके प्रभाव के बारे में पता चलेगा। उद्देश्य है कि इस मुद्दे पर उनका दृष्टिकोण विस्तृत रूप लिया जाये।

ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया में पाश्चात्वर्ती देखरेख सेवाएं 15 से 25 वर्ष के युवाओं के लिए उपलब्ध हैं– जब युवा औपचारिक रूप से देखरेख के बाहर आ जाते हैं। यह सेवाएं व्यक्तियों की निजी परिस्थितियों को ध्यान में रख कर तय की जाती हैं। अलग अलग प्रकार की पाश्चात्वर्ती देखरेख सहायता इनमें शामिल है जैसेः

- अन्य सरकारी और गैर–सरकारी एजेंसियों के बारे में जानकारी जो परिवारों के बारे में जानकारी बढ़ाती हैं, और नये परिवारों के साथ मेल करवाती हैं।
- रहने का स्थान ढूंढने के लिए वित्तीय सहायता, शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण, कानूनी सलाह, स्वास्थ्य सेवाएं या व्यव्यसायिक सेवाएं।
- युवा को उनकी फाइलों को देखने व समझने में सहायता देना और निजी दस्तावेजो का तैयार कराना।

स्वतंत्र जीवन स्थानांतरण भत्ता (टीला): टीला एक बार का भुगतान है (1500 डालर) जो ऑस्ट्रेलिया की सरकार द्वारा प्रत्येक युवा को दिया जाता है जिससे उनके मूल खर्चे पूरे होते हैं जब वह घर की देखरेख को छोड़ते हैं। यह भत्ता उन युवाओं के लिए भी है जो आदेश के समाप्त होने के बाद भी पालने वालों के साथ रहते रहते हैं रकम को इन सब पर खर्च किया जा सकता हैः

- फ्रिज, बिस्तर जैसी मूल जरूरतों पर
- किराया
- सलाह, शिक्षा और प्रशिक्षण अवधि
- चिकित्सीय खर्चे
- ड्राइविंग लाइसेंस
- वह वस्तुएं या सेवाएं जिनके बारे में युवा और उसके मामला कार्यकर्ता द्वारा संधि हुई है।

युवाओं की ओर से टीला के लिए आवेदन मामला कार्यकर्ता द्वारा दिया जाता है। इस समर्थन का दावा करने के लिए लीव केयर प्लान को सही तरीके से लागू होना चाहिए।

विशेष पाश्चात्वर्ती देखरेख सेवाएं: कुछ परिस्तिथियों में, 'सामुदायिक सेवाएं', जो परिवार और सामुदायिक सेवाओं के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार का एक विशेष विभाग है, विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करता है ताकि युवा स्वतंत्र रूप से रह सकें, आय

का समर्थन पा सकें, शिक्षा और प्रशिक्षण, जीने के कौशल विकास में हिस्सा ले सकें और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सकें। सामुदायिक सेवाओं में सलाह, कानूनी सलाह और निर्दिष्ट करना भी शामिल है।

अन्य पाश्चात्वर्ती देखरेख संसाधनः सामुदायिक सेवाएं अनेक गैरसरकारी संगठनों को कोश देती हैं ताकि उन लोगों को सहायता मिले जो देखरेख में रह चुके हैं जैसे रिलेशनशिप्स ऑस्ट्रेलिया, बर्नसाइड, सेन्टकेयर, संत विन्सेंट्स केयर, स्ट्रेच फेमिली, आदि इन सेवाओं में शामिल हैः

- सलाह, युवा जो देखरेख छोड़ रहे हैं उन्हें समर्थन
- रोजगार मिलने में समर्थन, स्वास्थ्य देखरेख, कानूनी सलाह और शिक्षा
- निजी वृत्तांत जानकारी तक पहुँचने के लिए सहायता
- युवाओं के लिए कानूनी सलाह

युनाइट्स स्टेट्स ऑफ अमेरिका

यूएसए में पाश्चात्वर्ती देखरेख की प्रणाली तीन दशकों से भी पहले से स्थापित है। पाश्चात्वर्ती देखरेख सेवाएं 18 से 21 वर्ष के युवाओं का समर्थन करती है जो पालक देखरेख के लिए उम्र में बड़े हो जाते हैं। नीचे दिए गए भाग में पूरे देश में पाश्चात्वर्ती देखरेख की मुख्य बातों को उजागर किया गया है, हालाँकि वहां एक राज्य से दूसरे राज्य में सेवाओं और उनको लागू करने के तरीकों में फर्क होता है।

- युवा अपने को स्वतंत्र बनाने की योजना पर काम करें
- रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढें।
- आपातकालीन और असामयिक खर्चो का भुगतान करें
- डॉक्टर, दांत का डॉक्टर या सलाहकार ढूंढें
- वित्तीय लक्ष्य तय करें और उन तक पहुंचे
- कॉलेज ढूढ़ें और काम का प्रशिक्षण लें
- काम ढूढ़ें
- वयस्क प्रतिपालक के साथ का फायदा लें या सामुदायिक संसाधनों वा अवसरों का फायदा लें
- एक अपार्टमेंट, या पालन घर में रहने के लिए खुद भत्ता दें
- सामाजिक और जज्बाती समन्वय को प्रोत्साहन दें और स्वतंत्र रूप से जीने के कौशल सीखें
- विनाशक व्यवहार के पैटर्न को हटाइये

रूस

रूस में पाश्चात्वर्ती देखरेख प्रणाली की मुख्य बातें नीचे दी गयी हैं:

- रूस का संयुक्त कानून 18–23 वर्ष के व्यक्तियों को पूर्ण समर्थन की गारंटी देता है जो देखरेख से बाहर आ रहे होते हैं और जो अपनी शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा ले रहे हैं।
- इस समर्थन में शामिल है खाना, कपड़े, जूते, आवास, सामाजिक सेवाएं, शिक्षा और चिकित्सीय सेवाएं।
- आवास, मानसिक और पुनर्वास की सेवाएं 23 वर्ष की उम्र के बाद दी जाती हैं हालाँकि यह प्रत्येक स्थान की नीतियों पर निर्भर होता है।

- देश में पाश्चात्वर्ती देखरेख समर्थन के अलग अलग मॉडल इस प्रकार हैं:
  - नगर पालिका के अंतर्गत पाश्चात्वर्ती देखरेख केंद्र जो परिवारों और बच्चों की सहायता करें।
  - जो व्यक्ति देखरेख से बाहर आ रहे हैं उनके लिए हॉस्टल का अस्थायी निवास।
  - युवाओं के समूह जो माता–पिता की देखरेख के बिना हैं उनके लिए पाश्चात्वर्ती देखरेख सेवाएं जो 15–18 वर्ष और 18–23 वर्ष के बीच हैं नगर पालिका द्वारा दी जाती हैं।
  - गैरसरकारी संगठन आधारित पाश्चात्वर्ती देखरेख सेवाएं जैसे युवा सेवाएं
  - एक क्लब की प्रणाली जो मुश्किल में आपको रहने का स्थान दे और आपातकालीन रूप से अस्पताल में रहने की सुविधा।

मुख्य बातः अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में पाश्चात्वर्ती देखरेख सेवाएं अलग–अलग प्रकार की हैं और देखरेख से बाहर जाने वालों के लिए सेवाओं की प्रभाविकता भी–अलग अलग है।

संन्दर्भ सूची

http://asourown.org

http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/odisha-doesnt-track-juveniles-after-release-cag

http://dwcd.kar.nic.in/dwcd_english/prg_social_defense.html

http://childrenssquare.org/programs/child-welfare-emergency-services/aftercare-program

http://www.360kids.ca/programs-and-services/after-care

http://www.community.nsw.gov.au/parents,-carers-and-families/for-young-people/are-you-in-care/are-you-leaving-care/after-care-support

http://www.bigbrothersbigsisters.ca/en/home/YIC-section-00-youth-in-and-leaving-care/YIC-section-04.aspx

http://www.crin.org/en/docs/The%20Transitions%20Initiative%20-%20Youth%20Aging%20Out%20of%20Alternative%20Care.pdf

http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/6951/13/13_chapter%208.pdf

http://odisha.gov.in/e-magazine/Orissareview/2014/April-May/engpdf/134-140.pdf

http://www.thehindu.com/news/cities/Delhi/from-childhood-till-they-find-their-feet-in-the-world-aftercare-services-do-it-all/article6454411.ece

http://southasia.oneworld.net/news/no-record-of-kids-moving-out-of-orphanages-indian-ngo

http://www.prayaschildren.org/publications/yuva%20_connect_2012.pdf

Integrated Child Protection Scheme (ICPS), 2014

Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015

Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Rules, 2016

National Policy for Children, 2013

SOS Messenger (April 2016), SOS Children's Villages of India

UN Convention on Rights of the Child, 1989

UN Guidelines for the Alternative Care of Children (UNGACC), 2009

आईये हम सब इस बात को सराहें और प्रोत्साहित करें की युवा लोग विश्व को और सुरक्षित और न्यायोचित बनाने में क्या कुछ नही कर सकते। युवाओं को उनके और अपने भविष्य की बेहतरी के लिए बनने वाली नीतियों, कार्यक्रमों और फैसले लेने की प्रक्रियों में शामिल करनें के लिए ठोस कदम लेने होगें–

संयुक्त रा”V egk&lfpo] cu dh eu dk lnء’k
12 vxLr 2017] vrjk”Vh; ;ok fnol ij

mn;u d;j
16/97–ए, विक्रम विहार, लाजपत नगर–4, नई दिल्ली–110024
फोनः. +91–11–46548105/06
ई–मेलः advocacy@udayancare.org
वेबसाइटः www.udayancare.org